ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 48/C/T/2025 तारीख पेशी : 29–09–2025

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री गोरखु राम, निवासी महाल जसेहड, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री गोरखु राम, निवासी महाल जसेहड, डाकघर सुरानी, तहसोल खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल जसेहड़, अलुहा व अघार, तहसील खुण्डिया के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम गोरखू दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में उसके पिता का नाम गोरखू राम दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल जसेहड़, अलुहा व अघार, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसके पिता का नाम गोरखू राम उपनाम गोरखू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29–09–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता श्री गोरखू राम पुत्र फकीरू, निवासी महाल जसेहड़, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल जसेहड़, अलुहा व अघार, तहसील खुण्डियां के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 27–09–2025

निम्मो देवी पत्नी ओंकार चन्द, निवासी गांव व डाकघर अरला, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया निम्मो देवी पत्नी ओंकार चन्द, निवासी गांव व डाकघर अरला, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र ग्राम पंचायत सामुदायिक केन्द्र अरला द्वारा जारी प्रमाण—पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थिया की भाभी मीना कुमारी पत्नी शशि कुमार की मृत्यु दिनांक 03—07—2012 को हुई है। परन्तु ग्राम पंचायत अरला के पंचायत अभिलेख में मृत्यु पंजीकरण न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की भाभी की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अरला के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27—09—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी की भाभी मीना कुमारी पत्नी शशि कुमार की मृत्यु दिनांक 03—07—2012 को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अरला को जारी कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23—08—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————————

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :

तारीख दायरा : 28—06—2025

श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जीया लाल, निवासी गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . प्रत्यार्थी।

विषय.——प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

उपरोक्त मिसल नाम दुरुस्ती व अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा में विचाराधीन है। उक्त मिसल में प्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जीया लाल, निवासी गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम दस्तावेजों में धर्मेन्द्र कुमार शर्मा दर्ज है, जोकि प्रार्थी का सही नाम है, लेकिन राजस्व अभिलेख महाल मोहटली में सुरेन्द्र पाल पुत्र जी लाल दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे में यदि किसी को एतराज है तो वह 26—09—2025 को असालतन/वकालतन अदालत हजा में पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

कमलेश कुमारी

बनाम

समस्त जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री दीना नाथ, वासी महाल ओथड़ा, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत मसरूर के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थिया ने अपने जन्म को ग्राम पंचायत मसरूर के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी का जन्म दिनांक 14—03—1957 को हुआ है तथा उसका जन्म गांव ओथड़ा, तहसील हरिपुर में हुआ है।

अतः इस नोटिस/मुश्त्री मुनादी द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया के जन्म को ग्राम पंचायत मसरूर के रजिस्टर में दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 08—10—2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28—08—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी हरिपुर,
तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————————